न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–1/19

दायर दिनांक:–21.01.2019

निर्णय दिनांक :–19.12.2019

उनवान

1. नानजी आयु 65 वर्श पुत्र श्री रामा जाति रेदास (चमार) निवासी ग्राम हतवारी तह. शाहबाद जिला बारां राज.।

–प्रार्थी

बनाम

1. जीतू आयु 30 वर्श पुत्र हरिओम जाति तेली (राठौर) निवासी केलवाड़ा तह. शाहबाद जिला बारां राज.।
2. रमेश आयु 40 वर्श पुत्र गज्जू जाति तेली (राठौर) निवासी केलवाड़ा तह. शाहबाद जिला बारां राज.।
3. मंगी आयु 58 वर्श पुत्र नामालूम जाति ओझा निवासी खिरिया तह. शाहबाद जिला बारां राज.।
4. मुकेश आयु 30 वर्श पुत्र मंगी जाति ओझा निवासी खिरिया तह. शाहबाद जिला बारां राज.।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:–

1– प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त में आराजी खसरा नं. 196/523 रकबा 4.00 बीघा भूमि किस्म बा0च0 ग्राम खिरिया पटवार मण्डल पीपलखेड़ी तह. शाहाबाद में स्थित है। प्रार्थी ने अपने खाते की उक्त आराजी में फसल सरसों बो रखी है। फसल सरसों अच्छी हालात में खड़ी है। प्रार्थी फसल की देखभाल कर रहा है।

2– प्रार्थी चमार जाति एस.सी. का गरीब व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण धनाढ्य ताकतवर व्यक्ति है जो जबरन ताकत के बुते पर प्रार्थी की उक्त आराजी पर कब्जा करने को एवं फसल काटने को आमादा है।

3– अप्रार्थीगण दिनांक 13.01.2019 को प्रार्थी की उक्त आराजी में दिन के लगभग 1 बजे आ गये जब प्रार्थी अपनी आराजी में खड़ी फसल सरसों की देखभाल कर रहा था। अप्रार्थीगण ने खेत में घुसकर एकदम आक्रोश में कहा कि "तु इस आराजी व फसल को छोड़ यदि तु इस आराजी पर पाया तो तेरा पता ही नहीं चलेगा।" अप्रार्थीगण ने झगड़ा शुरू कर दिया और कहा कि हम इस आराजी पर कब्जा करके रहेंगे और फसल सरसों भी काटेंगे। प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। लेकिन बाद में पुनः जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी व फसल काटने की धमकी देते रहे।

4– अप्रार्थीगण के उक्त दुष्कृत्य एवं दुस्साहस से प्रार्थी के हकूक एवं मालीकाना को भारी खतरा पेदा हो गया है। यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की उक्त आराजी में जबरदस्ती प्रवेश कर कब्जा कर लिया और फसल काट ली या नष्ट कर दी तो प्रार्थी को अपूर्तनिय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन सम्भव नहीं है। इस कारण अप्रार्थीगण के खिलाफ अविलम्ब अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अस्थाई निषेधाज्ञा से हर फेसला पाबन्द किया जाना परम आवश्यक है।

खण्ड अधिकारी
ाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से इस आशय का आदेश दिया जा कर अविलम्ब पाबन्द फरमाया जावे कि प्रकरण (वाद) के निर्णय तक प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 196/523 रकबा 4.00 बीघा वाके ग्राम खिरिया में न तो जबरन कब्जा स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे कोई बाधा न तो स्वयं डाले ना अन्य से डलावे तथा प्रार्थी की फसल सरसों को भी न ही काटे न नष्ट करें। अप्रार्थी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे तथ प्रार्थी को शांती पूर्वक काश्त करने देवे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4, बाद सूचना के अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही एकपक्षीय की गई। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ने निम्न प्रकार जवाब पेश किया–

1– प्रार्थना पत्र का वाद क्रम 1 में मान दावां पेश करना स्वीकार है शेष विवाद अस्वीकार है।

2– प्रार्थना पत्र का वाद क्रम 2 से अप्रार्थी क्रम 2 को कोई लेना–देना नहीं है। अस्वीकार है। अप्रार्थी क्रम 2 ग्राम खिरिया की आराजी खसरा नं0 196/517 रकबा 15.00 बीघा पर काबिज होकर आज तक निरंतर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में अप्रार्थी ने उक्त भूमि में पलेवा कर रखा है तथा फसल बोने की तैयारी कर रहा है। यह भूमि अप्रार्थी ने खातेदार रघुनाथ ब्राहम्ण से 40 वर्ष पूर्व क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था।

3– प्रार्थना पत्र का वाद क्रम 3,4,6,7,8 अस्वीकार है।

5– प्रार्थना पत्र का वाद क्रम 5 अस्वीकार है। अप्रार्थी को आराजी खसरा नं0 196/523 रकबा 4.00 बीघा से कोई लेना–देना नहीं है ना ही कभी कब्जा किया है। प्रार्थी की भूमि की नक्शे में कोई तरमीम नहीं है।

7– प्रार्थना पत्र का वाद क्रम 9 कानूनी है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता अप्रार्थी को प्रदान की जावे।

बहस उभयपक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया।

आदेश

प्रार्थी विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार है। जबकि अप्रार्थी का कहना है कि वह खसरा नम्बर 196/517 रकबा 15.00 बीघा पर पिछले 40 वर्षो से खातेदार रघुनाथ ब्राहम्ण से क्रय कर उस पर काबिज है। अप्रार्थी का प्रार्थी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी की भूमि की नक्शे में तरमीम नहीं है। दोनों पक्षों में सीमा विवाद प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। उक्त विवाद का निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा तब तक दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजियात की यथा स्थिति बनाये रखे। उस पर किसी प्रकार का मजामहत न ही स्वंय करे ना ही दूसरों से करावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी
शाहबाद

Scanned by CamScanner